

दिनांक-30.01.2026 को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिपुर एवं वैशाली के साथ PHED & PRD से हस्तांतरित योजनाओं के एकरारनामा, मरम्मति दल एवं स्टोर/भंडारण आदि हेतु आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

**1. विद्युत विपत्रों के भुगतान की स्थिति:-**

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिपुर एवं वैशाली में विद्युत विपत्रों के बकाये राशि की भुगतान की हुई समीक्षा दिनांक-01.09.2025 के आधार पर की गई। दावा का संयुक्त सत्यापनोपरांत HGN एवं गैर HGN जलापूर्ति योजनाओं के उपभोक्ता संख्याओं के विद्युत विपत्रों का संवेदकों/एजेंसियों के माध्यम से भुगतान हेतु कुल लंबित बकाया राशि ₹1566.22 लाख है, जिसके विरुद्ध दिनांक-29.01.2026 तक मात्र ₹454.27 लाख का भुगतान प्रतिवेदित किया गया है। अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा सभी प्रमंडलों का ध्यानाकृष्ट कराया गया कि कतिपय उपभोक्ता संख्याओं के विद्युत खपत की स्थिति शून्य है। जैसे-लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीतामढ़ी में उपभोक्ता संख्या-12240052078 एवं 12210657207 में फरवरी 2025 से अब तक विद्युत खपत शून्य है। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल शिवहर में उपभोक्ता संख्या-123106039760, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल हाजीपुर में उपभोक्ता संख्या-121309807066, 121405974528, 121405974440 एवं 121405974510, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में उपभोक्ता संख्या-119204995275 एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर में उपभोक्ता संख्या-120304771593 का पूरे साल का विद्युत खपत शून्य है। अतः यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि प्रमंडलों द्वारा योजनाओं की क्रियाशीलता जांचे बिना ही O&M का भुगतान कर दिया जा रहा है। अतः सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया है कि वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर ही O&M का भुगतान करें। अगर कहीं पाया जाता है कि योजनाओं की क्रियाशीलता/वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर O&M की राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो संबंधित पदाधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही बैठक में यह निदेश दिया गया कि प्रमंडलों द्वारा जो अधियाचना की जाती है एवं विभाग द्वारा जो अधियाचित राशि दी जाती है उसके अनुसार विद्युत मद में भुगतान कराना सुनिश्चित करें। अगर ऐसा पाया जाता है कि विभाग द्वारा प्रमंडलों को दी जा रही अधियाचित राशि के अनुपात में विद्युत मद में भुगतान नहीं कराया गया है तो संबंधित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी

अनुपालन:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0) के प्रावैधिक सचिव/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ समीक्षा के दौरान यह भी संज्ञान में आया कि संवेदकों द्वारा विद्युत विपत्रों की राशि का विलंब से एवं अत्यंत ही कम मात्रा में भुगतान करने के कारण वह राशि DPS में

समायोजित हो जाता है। विदित हो कि ससमय भुगतान नहीं होने के कारण ही विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विलंब भुगतान अधिभार (DPS) लिया जाता है। फलतः संवेदकों द्वारा भुगतान की गई राशि का जो अंश DPS में समायोजित हो जाता है, उस राशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। यदि प्रमंडलों द्वारा संवेदकों को विलंब भुगतान अधिभार मद में समायोजित राशि का प्रतिपूर्ति किया जाता है तो उस राशि की वसूली संबंधित पदाधिकारियों से किया जाएगा। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि विद्युत विपत्रों के बकाया राशि के भुगतान हेतु अधियाचना में ऊर्जा मद एवं विलंब भुगतान अधिभार मद की राशि स्पष्ट रूप से अलग-अलग अंकित किया जाय। इसका अनुश्रवण संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जाएगा।

अनुपालन:- संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

## 2. MIS Mapping / Entry (Land Availability / Store/Material / Contractor/ Supervisor/ Repair Team/ Electric Meter/ Electricity Bill / IOT etc.):-

❖ समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि प्रमंडलों द्वारा MIS पर Contractor/Supervisor/Repair Team/Electric Meter/Electricity Bill/IOT की प्रविष्टियों में कई तरह की त्रुटियां हैं। साथ ही जो प्रविष्टि की गयी है, वह भी आंशिक रूप से। समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि संवेदक/मरम्मत दल/सुपरवाइजर के नाम एवं उनके मोबाइल नंबर काफी अधिक संख्या में गलत अपलोड किया गया है, जिसके कारण ससमय शिकायतों का निष्पादन (नियमानुकूल कार्रवाई) नहीं हो पा रहा है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि प्रक्षेत्र/अंचल/प्रमंडल स्तर से MIS पर की गई प्रविष्टियों का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। इस मामले को प्राथमिकता स्तर पर लेते हुए सभी प्रमंडलों को सख्त निदेश दिया गया कि अगले तीन दिनों के अंदर MIS पर त्रुटिरहित PHED/PRD ward Mapping के अतिरिक्त अन्य सभी यथा संवेदक/मरम्मत दल एवं सुपरवाइजर का सही नाम एवं मोबाइल नंबर के साथ मैपिंग करना सुनिश्चित करेंगे।

Not Mapping Summary Report as on 29.01.2026:-

Sr. No	Division Name	Not mapped Ward with Repair Team (PHED)	mapped Ward with Repair Team (PHED)	Not mapped Ward with Repair Team (PRD)	mapped Ward with Repair Team (PRD)
1.	Muzzaffarupu	00	415	00	2050
2.	Sheohar	149	06	00	738
3.	Sitamarhi	400	57	05	3528
4.	Motipur	00	443	00	2886
5.	Vaishali(Hajipur)	374	909	02	2923

अनुपालन:-संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

Electricity Consumer Mapping Summary of Civil (PHED) Report as on 29.01.2026:-

Sr. No	Division Name	Total Target (PHED)	Total Entry (PHED)	%
1.	Muzzaffarupu	180	172	95
2.	Sheohar	74	66	89
3.	Sitamarhi	381	303	79

4.	Motipur	227	219	96
5.	Vaishali(Hajipur)	730	746	102

अनुपालन:--संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

Electricity Consumer Mapping Summary of Civil (PRD) Report as on 29.01.2026:-

Sr. No	Division Name	Total Target (PRD)	Total Entry (PRD)	%
1.	Muzzaffarupu	2050	00	00
2.	Sheohar	738	06	00
3.	Sitamarhi	3533	00	00
4.	Motipur	2886	42	01
5.	Vaishali(Hajipur)	2925	183	06

अनुपालन:--संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में यह भी निदेशित किया गया कि PHED & PRD संवेदकों द्वारा स्थापित स्टोर/भंडार का Geo Tagging करते हुए सभी सामग्रियों की अवयववार Inventory की MIS पर प्रविष्ट करेंगे और पंजी का संधारण करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि क्षेत्रांतर्गत संचालित योजनाओं के संवेदक अपने क्षेत्राधीन स्थापित भंडार गृह में निर्माण/मरम्मत एवं संपोषण कार्य में प्रयुक्त हो रहे सामग्रियों का एकरारनामा के 10 प्रतिशत के अनुपात में संग्रह सुनिश्चित करेंगे एवं स्थल पर विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जनहित के लिए प्रदर्शित करेंगे।

अनुपालन:--संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ जमीन अनुपलब्धता की प्रगति का अनुश्रवण हेतु मुख्यालय स्तर पर दल गठित करने हेतु निदेश दिया गया। ।

अनुपालन:--मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)/प्र0पदा0-15।

### 3. CGRC निष्पादन:--

- ❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर अंतर्गत 34 पंचायतों में दिनांक-15.08.2025 से दिनांक-30.01.2026 तक शून्य शिकायत प्राप्त हुआ है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता/संवेदक से पृच्छा के दौरान बताया गया कि उक्त पंचायतों में दूरभाष/आवेदन के माध्यम से प्राप्त शिकायत निराकरण कर दिया गया है। उक्त के आलोक में निदेशित किया गया कि दूरभाष/आवेदन या किसी और माध्यम से प्राप्त शिकायतों को CGRC Portal पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि मुख्यालय स्तर से इसका अनुश्रवण किया जा सके। इस संबंध में संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि उक्त पंचायतों का योजनावार क्रियाशीलता अपने स्तर से अनुश्रवण करेंगे।

अनुपालन:-- संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि कतिपय संवेदकों द्वारा शिकायत निष्पादन में विभागीय मानक के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा से अतिरिक्त समय लिया जा रहा है, जिस पर

खेद व्यक्त करते हुए सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि ऐसे संवेदकों को चिह्नित करते हुए उनके विरुद्ध एकरारनामा के आलोक में कार्रवाई किया जाय।

अनुपालन:—सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी संबंधित

अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों/योजनाओं में अत्याधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वहाँ पर कार्यपालक अभियंता विशेष ध्यान देते हुए मानव बल का आकलन/कार्य की गुणवत्ता का अनुश्रवण करते हुए शिकायतों का निराकरण ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:— सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि संबंधित संवेदक की कार्य पद्धति को प्रतिदिन अनुश्रवण करें तथा सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दो वार्ड में संवेदक द्वारा कम से कम एक मरम्मत दल कार्यरत हो तथा प्रतिदिन सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता से संवेदकवार क्षेत्र में लगाए गए टीम का प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा हस्ताक्षर कर EE कंट्रोल रूम के Whatsapp Group पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:—संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित

अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल सीतामढ़ी अंतर्गत प्रखंड—सोनवर्षा, ग्राम पंचायत—कचौल की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल अंतर्गत सबसे अधिक शिकायत प्राप्त हो रही है, जिस पर संबंधित अंचल के अधीक्षण अभियंता से पृच्छा की गई तो उत्तर देने में असमर्थ पाए गए। अतः निदेशित किया गया कि वैसे संवेदक जिनके कार्य क्षेत्र में अधिक—से—अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहाँ के संबंधित कार्यपालक अभियंता कृत कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:— संबंधित अधीक्षण अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में बताया गया कि क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से निम्नवत् रिपोर्टों की समीक्षा नियमित रूप से करेंगे।

- I. Panchayat with No Complain Report (CGRC)
- II. Contractor wise Average solving time report
- III. Contractor wise Average Pending days report
- IV. Maximum count wise report
- V. Contractor wise most pending report

अनुपालन:—संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित

अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि CGRC अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि CGRC पर प्राप्त शिकायतों का निष्पादन विभागीय SOP के तहत कराया जाय।

अनुपालन:— संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित

अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

#### 4. Detail Report of PRD Expenditure (Format As Attached):-

- ❖ सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि PRD O&M में व्यय की गयी राशि का अवयववार विहित प्रपत्र में प्रविष्टि कर दो दिनों के अंदर मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। इसका अनुश्रवण संबंधित अधीक्षण अभियंता निश्चित रूप से करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

#### 5. अन्यान्य:-

- ❖ संवेदक श्री धनजय कुमार द्वारा बताया गया स्वीकृत्यादेश संख्या-898, 882 एवं 1979 के तहत PWS सरसौला, सुप्पी, सिरखंडी पूर्व, बथनाहा आदि योजनाओं को उनके द्वारा वर्ष 04.12.2024<sup>31</sup> लिया गया है परन्तु उनसे पूर्व के योजनाओं का विद्युत भुगतान कराने को बोला जा रहा है एवं एक अन्य योजना का O&M की अवधि 2022 में ही समाप्त हो गया है परन्तु आज तक उसका भुगतान नहीं कराया जा सका है।
- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल सीतामंठी प्रखंड-बथनाहा के संवेदक श्री अरुण कुमार साही द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कृत एक योजना में पोल न होने के कारण योजना कई महिनो से बंद है (सात पोल लगना है इस योजना में)। इस संबंध में कई बार पत्राचार किया जा चुका परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है।
- ❖ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर अंतर्गत संवेदक श्री संजीत यादव द्वारा एवं कतिपय संवेदकों द्वारा शिकायत किया गया कि विचलन के अंतर्गत कराए गए कार्यो का भुगतान लंबित रहने की स्थिति में योजनाओं को क्रियाशील रखने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अनुपालन:-मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)/प्रशाखा पदाधिकारी- 06 एवं 12।

- ❖ PWS/SVS की क्रियाशीलता/विद्युत विपत्र का भुगतान आदि की विशेष निगरानी का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियंता को दी जाती है। प्रत्येक माह के पांच तारीख तक उक्त से संबंधित प्रतिवेदन मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित अधीक्षण अभियंता।

बैठक में प्राप्त सभी निदेशों का अनुपालन ससमय करने हेतु सभी उपस्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दी गई।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

(पंकज कुमार पाल)

सचिव

ज्ञापांक:- 14/बैठक - 1014/24 - 140

दिनांक- 18/2/26

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता-सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/9/26 — 1014/24 — 140

दिनांक- 18/2/26

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0) के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आइटी मैनेजर/संबंधित सहायक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/9/26 — 1014/24 — 140

दिनांक- 18/2/26

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/9/26 — 1014/24 — 140

दिनांक- 18/2/26

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(मुख्यालय)